न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पीठ)

1.पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 83/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री अंकित अग्रवाल एवं अन्य

2.पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 84/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य

3.पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 85/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री राजीव कुमार एवं अन्य

4.पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 86/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री दीपक कुमार एवं अन्य

5.पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 87/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री हरिमोहन अग्रवाल एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।
एवं
श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह,सहा0जिला शास0अधि0(राज.)

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री सी0एम0 असवाल।

बावत

मौजा भवानीपुर हरसिंह, तहसील लालकुँआ,
जनपद नैनीताल।

निर्णय

उपरोक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या–34/2012–13 सरकार बनाम अंकित अग्रवाल आदि, निगरानी संख्या–35/2012–13 सरकार बनाम राजेश कुमार अग्रवाल आदि, निगरानी संख्या–36/2012–13 सरकार बनाम राजीव कुमार आदि, निगरानी संख्या–37/2012–13 सरकार बनाम दीपक कुमार आदि एवं निगरानी संख्या–38/2012–13 सरकार बनाम हरिमोहन अग्रवाल आदि में विद्वान अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 के विरूद्व प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जो तहसीलदार, लालकुआँ द्वारा निर्णयादेश दिनांक 19–09–2011 से निरस्त किये गये जिनके विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण ने विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्ड़ल, नैनीताल के समक्ष निगरानियाँ प्रस्तुत की गईं। विद्वान अपर आयुक्त ने विस्तृत विवेचना करते हुए अपने

निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 से सभी निगरानियाँ स्वीकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त कर नामान्तरण स्वीकार किये गये। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 के विरूद्व उपरोक्त निगरानियाँ प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त हुई। निगरानी में पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 के विरूद्व उपरोक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को विस्तारपूर्वक सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

पुनर्विलोकनकर्ता राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि निगरानी में पारित आदेश साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर पारित नहीं किया गया है। उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पन्ना जीवन लाल की संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात रही है और प्रश्नगत भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उनके द्वारा क्रय की गई थी जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, लालकुआँ के समक्ष प्रस्तुत किये गये परन्तु उन्होंने साक्ष्यों की अनदेखी कर नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त द्वारा भली–भांति परीक्षण के पश्चात ही प्रश्नगत आदेश 20–12–2012 पारित किये गये। राजस्व परिषद में भी सभी साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर पारित किया गया है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

हमने न्यायालय राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 का भी अवलोकन किया। इन निर्णयादेशों के अवलोकन पर हमें ऐसी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है जिससे पारित निर्णयादेशों में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता हो। प्रश्नगत निर्णयादेश भली–भांति परीक्षण एवं साक्ष्यों के आधार पर पारित किये गये हैं। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं।

आदेश

बलयुक्त न होने के कारण सभी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं। तद्नुसार पूर्व पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आदेश की एक–एक प्रति शेष सभी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों पर रखी जाय।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

(अकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 12-05-15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।